संख्या: 418639/III(2)/2026-ई0-35062/2022

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 31 जुलाई , 2026

विषयः राज्य योजना मद में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत न्यू कैंट मोटर मार्ग कि0मी0 1 चै0 0.375 से चै0 1.625 (सालावाला पुल से विजय कालोनी पुल) तक मार्ग को दो लेन से 10.50 मी0 चौडाई में परिवर्तित (अपग्रेड) करने का कार्य (द्वितीय चरण) पुनरीक्षित आगणन (प्रोजेक्ट आई0डी 9153)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-I/305230/2025 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा लागत ₹ 1171.56 लाख की प्रदान की गई है।

2 - उक्तानुसार यूटिलिटी डक्ट में 9 न0 एच0डी0पी0ई0 पाइप का प्राविधान अनिवार्य रूप से करने तथा डक्ट की गहराई पूर्व स्वीकृत आगणन में प्राविधानित गहराई 1.000 मी0 के स्थान पर 1.500 मी0 किये जाने के कारण उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त, औचित्यपूर्ण सम्पूर्ण लागत धनराशि ₹ 1687.47 लाख (रुपये सोलह करोड सत्तासी लाख सैंतालीस हजार मात्र) (पूर्व सवीकृत लागत रू0 1171.56 लाख+ अतिरिक्त लागत रू0 515.91 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

i. उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि उपरोक्त शासनादेश सं0-I/305230/2025 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 1171.56 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 1687.47 लाख से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ 515.91 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 10.06.2025 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।

ii. सम्बन्धित विभागों को यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु धनावंटन से पूर्व प्लान में यूटिलिटीज् की वर्तमान लोकेशन एवं शिफ्ट किये जाने वाली लोकेशन अंकित कर अन्य विभागों को यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु धनावंटन से पूर्व अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 सम्बन्धित विभागो के सक्षम अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर लें तथा वे यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्राविधानों से सन्तुष्ट हो लें।

iii. दिनांक 16.12.2025 द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की धनराशि एवं इसके सापेक्ष व्यय धनराशि

Scanned with OKEN Scanner

का परीक्षण अधीक्षण अभियन्ता कर लें एवं बचत की दशा में अवशेष धनराशि नियमानुसार समर्पित करवाना सुनिश्चित करें।

iv. विषयगत कार्य की स्वीकृति के संबंध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

v. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

vi. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

vii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

viii. HDPE Pipe की दरें अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करवा ली जाय।

ix. डक्ट का कार्य वर्तमान डक्ट पालिसी के अनुसार सम्पादित कराया जाए।

x. मार्ग के निर्माण के समय ड्रेन का उचित Gradient देते हुए Proper Outfall सुनिश्चित कर लिया जाय।

xi. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लिया जाय।

xii. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xiii. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।

xiv. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

xv. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला मे टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

xvi. स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

xvii. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

3- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/ 418599/2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Scanned with OKEN Scanner

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 31-07-2026
13:44:48

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग2 -, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से
अपर सचिव

PWD UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTRAKHAND)
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक-951 /20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026, दिनांक-11 अगस्त,2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,....देहरादून....।
2. अधीक्षण अभियन्ता,....09....वृत्त, लोक निर्माण विभाग,....देहरादून....।
3. अधिशासी अभियन्ता,....CD....खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,....देहरादून....।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner